



समक्ष श्रीमान् सदस्य राजस्व मण्डल, ग्वालियर


केम्प – जबलपुर

निगरानी प्रकरण क्रमांक

1/2019 (ग्राम) - 0324/१०/७/ग्वालियर | अक्टूबर

(18)

आवेदिका / अपीलार्थी :-



अनावेदिका / उत्तरवादी :-

केशर बाई
विधवा मोहन लाल,
निवासी – रेंगाझरी, तह. वारासिवनी
जिला – बालाघाट, म.प्र.

विरुद्ध

कांता बाई
विधवा मोहन लाल पवार
निवासी – हालमुकाम देवसरा,
तहसील – तुमसर,
जिला – भण्डारा, महाराष्ट्र.

निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959

आवेदिका / अपीलार्थी न्यायालय अतिरिक्त कमिशनर जबलपुर के प्रकरण क्र. 491/अ-6/2013-14 पक्षकार केशरबाई वि. कांताबाई में पारित आदेश दिनांक 1/10/16 से परिवेदित हो, जिसके द्वारा अनावेदक उत्तरवादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत समय बाधित अपील को यथावत् रखा गया है। अतः आवेदिका / अपीलार्थी नीचे दर्शाए तथ्यों एवं आधारों पर यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है।

तथ्य :-

- यह कि आवेदिका / अपीलार्थी स्व. मोहन लाल की प्रथम पत्नी है। स्व. मोहन लाल की मृत्यु दिनांक 30/05/2003 को हो गई थी, मृत्यु के

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग-अ

प्रकरण क्रमांक	विरुद्ध
तहसील	जिला
आयुक्त के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक	जिलाध्यक्ष के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक
अनुचिभागीय पदाधिकारी के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक	तहसील का प्रकरण क्रमांक
वाद का विषय
अधिनियम एवं धारा जिसके अन्तर्गत प्रकरण यहां प्रस्तुत हुआ है

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
<p>27/2119 प्रबलु-</p> <p>✓</p>	<p>आयुक्त संभाग / जिलाध्यक्ष, जिला</p> <p>के मूल / अपीलीय आदेश दिनांक.</p> <p>के विरुद्ध श्री</p> <p>के अभिभावक द्वारा अपील/पुनरीक्षण/पुनरावलोकन-पत्र प्रस्तुत किया गया जो पंजीबद्ध किया जा चुका है।</p> <p>पुनरावलोकन अवधि बाहा है/ नहीं है/ मुद्रांक शुल्क पूर्ण है/.....</p> <p>रु. की कमी है। आदेश, जिसके विरुद्ध यह अपील/पुनरीक्षण/पुनरावलोकन है, की प्रतिलिपि संलग्न है/ नहीं है। अपील/पुनरीक्षण/पुनरावलोकन की प्रतियां दी गई हैं/ नहीं दी गई हैं। आव्हान शुल्क दे दिया है/ नहीं दिया है।</p> <p>प्रस्तुतकार</p> <p>27/2119 प्रबलु-</p> <p>✓</p>	<p>गला दम्भोला प्रबलु किसी</p> <p>27/2119</p>